(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 45/2023

बउनवान

1. तेजबहादुर सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
2. उम्मेद सिंह पुत्र श्री तेजबहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. रामनिवास पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मेहतर निवासी भीलखेडा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री अरविन्द सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट क्रम 01)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 02)

निर्णय दिनांक 08.08.2023

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 में अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान रामनिवास बनाम तेजराजसिंह वगैराह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 22.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो. क्रम 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 (बी) आरटीए के तहत पेश किया था जिसमें ग्राम भीलखेड़ा तहसील छीपाबड़ौद के खाता संख्या नया 04 में वर्णित खसरा नं. 101/62 रकबा 1.0117 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0117 भूमि स्थित है जिसमें रेस्पो. क्रम 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड शामलाती खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त वर्णित आराजियात का विभाजन नहीं हुआ है। उक्त वर्णित आराजियात पर से अपीलांटगण को बेदखल करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित कर खसरा नं. 101/62 की रकबा 6.05 बीघा से बेदखल करने के आदेश जारी किये जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये निर्णय में न तो प्रकरण संख्या डाली गई है और न ही दर्ज रजिस्टर किया गया है। खसरा नं. 101/62 रकबा 1.0117 हेक्टर के स्थान पर खसरा नं. 101/62 की रकबा 6.05 बीघा दर्ज किया [illegible] जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार गलत है तथा वर्तमान जमाबन्दी में [illegible]श पुत्र श्री जगन्नाथ हिस्सा 1/6 लड्डू पुत्र श्री जगन्नाथ हिस्सा 1/6 सुल्तान पुत्र श्री जगन्नाथ 1/6 रेस्पो. क्रम 1 के साथ में सहखातेदार है जिनको भी इस प्रार्थना पत्र में बिना बंटवारा किये पक्षकारान नहीं बनाया गया है और न हीं इनको सुना गया है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी में रेस्पो. क्रम 1 के साथ में शामलाती खातेदारी में नाम दर्ज है। प्रकरण में अपीलांट क्रम 01 का नाम तेजबहादुर सिंह है और अपीलांट क्रम 02 का नाम उम्मेद सिंह पुत्र श्री तेजबहादुर सिहं है जबकि अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अप्रार्थी क्रम 01 व 02

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:32:38 IST
Reason: SelfAttested

तेजराज सिंह व रानू सिंह नाम के कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलांट क्रम 01 भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत होने के कारण सरकार द्वारा अपीलांट तेजबहादुर सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी हरनावदाशाहजी के नाम से वर्ष 1975 में आवंटन की गयी थी तथा उसी समय हीरालाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति हरिजन के नाम से 06 बीघा 01 बिस्वा आराजी वाके ग्राम बीलखेड़ा जिसका खसरा नं. 62 जिसका बडा रकबा था, उसमें से ही तेजबहादुर सिंह व अन्य व्यक्तियों के नाम से आवंटन किया गया था तथा उसी समय तेजबहादुर सिंह व अन्य आवंटियों को मौके पर कब्जा एवं दखल संभला दिया गया था। तब से अपीलांटगण इस भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजियात पर तेजबहादुर ने एक खाद्य गोदाम का निर्माण भी करवाया हुआ है जिसको करीबन 40 वर्ष हो चुके है। उक्त आराजियात के चारों ओर पत्थरों से पक्की बाउण्डरीवाल भी हो रही है जिसकी रेस्पो. क्रम 1 ने पैमाईश भी करवायी थी जो रेस्पो. की आराजियात से काफी दूर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक जरिये रजिस्टर्ड तलबी नोटिस तेजराज सिंह व रानू सिंह के नाम से भिजवा दिया गया जो दोनों अपीलांट के नाम से गलत भिजवाया गया है जिस पर अपीलांटगण द्वारा श्रीचंद्रप्रकाश पंचौली को एडवोकेट नियुक्त कर वकालत नामा पर हस्ताक्षर किये थे और उपरोक्त सारी जानकारी एडवोकेट श्री चंद्रप्रकाश पंचौली को दे दी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में न तो एडवोकेट उपस्थित हुए और न हीं अपीलांटगण को उसकी सूचना दी। अपीलांट क्रम 01 तेजबहादुर सिंह काफी समय से बीमार चल रहा था इस कारण वकील से सम्पर्क नहीं कर पाये।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 27.02.2023 को पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे, वह अपीलांटगण को दिलवायी जावे।

प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा रेस्पो. रामनिवास पुत्र जगन्नाथ जाति मेहतर द्वारा दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आरटीएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2023 नियमानुसार सही पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की दिनांक 24.06.2022 को रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं. 101/62 रकबा 6.05 बीघा में हिस्सा 1/2 रिकार्ड खाते में दर्ज है। प्रार्थी का मौके पर उक्त आराजी पर कहीं भी कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर की संपूर्ण भूमि पर तेजराजसिंह पुत्र नन्दसिंह व रानूसिंह पुत्र तेजराजसिंह जाति राजपूत का कब्जा है। प्रकरण में अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया ओर उनकी ओर से श्री चन्द्रप्रकाश पंचोली एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, प्रकरण मे अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय मे पर्याप्त अवसर मिलने के उपरांत भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को खसरा नं. 101/62 रकबा 6.05 बीघा से बेदखल करने का आदेश दिया गया जो सही है। उक्त विवादित आराजी पर वर्तमान मे प्रार्थीगण का कब्जा है और जिसमें गेहूं की फसल बोई हुई है। अतः अपील अपीलांटगण खारिज की जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद का प्रकरण संख्या 05/2022 किस्म अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान रामनिवास बनाम तेजराज सिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2023 सहीं प्रतीत होता है। जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:32:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **08.08.2023** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ